उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–66/2011–12

विजय साह एवं अन्य

बनाम्

शिव प्रसाद मिर्धा

–: आदेश :–

दिनांक 14/3/23

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता विजय साह वो अशोक साह वो विनोद साह वो टुनटुन साह, पे0–स्व0 बैधनाथ साह, सा0–डुमरिया, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण नें अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–97/2008–09 आदेश दिनांक–09.01.2012 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–97/2008–09 आदेश दिनांक–09.01.2012 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत मौजा–डुमरिया के जमाबंदी सं0–13 रकवा 01–18–03 धुर जमीन से अपीलकर्त्तागण को उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी शिवप्रसाद मिर्धा ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में मौजा–डुमरिया के जमाबंदी सं0–13 दाग नं0–733, 734 एवं 735 कुल रकवा 01–18–03 धुर जमीन से अपीलकर्त्तागण को उच्छेद करने के लिए आवेदन दाखिल किया था। उक्त आवेदन में उत्तरवादी शिव प्रसाद मिर्धा ने दावा किया था कि वे गत जमाबंदी रैयत के उत्तराधिकारी है। लेकिन उत्तरवादी के द्वारा वंशावली का उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए उत्तरवादी का आवेदन विचारणीय योग्य नहीं था। फिर भी अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के नोटिश पर अपीलकर्त्तागण अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में उपस्थित हुए एवं अपना कारण–पृच्छा दाखिल किया। दाखिल कारण–पृच्छा में अपीलकर्त्तागण ने उल्लेख किया कि यह सत्य है कि उक्त जमाबंदी की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मो0 रेवती के नाम से दर्ज है। लेकिन संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 के लागू होने के बहुत पूर्व अपीलकर्त्ता के पूर्वज द्वारा उक्त जमाबंदी नं0–13 के अन्तर्गत दाग नं0–733,

734 एवं 735 के अंदर रकवा 01–00–01 धुर जमीन प्राप्त किया गया था। बाद में उक्त जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए उत्तरवादी के पूर्वज द्वारा श्री जे0 सहाय, उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में टाईटल सूट नं0–420/1964 दायर किया था। उक्त वाद सुलहनामा के आधार पर खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी के द्वारा कोई भी रिवीजन वाद अबतक दायर नहीं किया गया है। बाद में परमेश्वर मिर्धा के द्वारा भी अपीलकर्त्तागण के पिता बैधनाथ साह के विरूद्ध मो0 एम0 हुसैन, उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में टाईटल सूट नं0–157/1968 दायर किया था। उक्त टाईटल सूट को भी दोनों पक्ष के सुनवाई के पश्चात जमीन पर बैधनाथ साह का लम्बे समय से दखल होने के आधार पर खारिज किया गया है। उपरोक्त सारी तथ्यों को अपीलकर्त्तागण के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्त्तागण के द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर विचार नहीं किया। उनका आगे कथन है कि अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा नामांतरण वाद सं0–13/1965–66 के आदेश दिनांक–27.11.1965 के द्वारा उक्त जमीन का नामांतरण अपीलकर्त्ता के पिता बैधनाथ साह के नाम से हो गया एवं माल गुजारी रसीद भी अपीलकर्त्तागण के पिता के नाम से निर्गत किया जाता है। फिर भी अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने मौजा–डुमरिया के जमाबंदी सं0–13 के दाग नं0–733, 734 एवं 735 रकवा 01–18–03 धुर जमीन से अपीलकर्त्तागण को उच्छेद किया है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय द्वारा प्रश्नगत जमीन से अपीलकर्त्तागण को उच्छेद किया है। लेकिन अपीलकर्त्तागण के कागजात देखने से यह यकीन हो गया है कि अपीलकर्त्तागण का कागजात असली एवं सही है। उनका आगे कथन है कि गाँव वाले के अनुसार भी अपीलकर्त्तागण का मकान बहुत पुराना है। इसलिए अपीलकर्त्तागण को उच्छेद करना उचित नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–275/रा0 दिनांक–28.05.2019, पत्रांक–560/रा0 दिनांक–02.12.2020 एवं पत्रांक–788/रा0 दिनांक–04.09.2021 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–डुमरिया थाना नं0–01, जमाबंदी सं0–13, दाग नं0–733 रकवा 00–03–13 धुर, दाग नं0–734 रकवा 01–08–09 धुर एवं दाग नं0–735 रकवा 00–06–01 धुर कुल रकवा 01–18–03 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मो0 रेवती जौजे देवल मिर्धा के नाम से दर्ज है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि जमाबंदी रैयत मो0 रेवती नावल्द मृत है अर्थात उनका कोई वंशज नहीं है। उनका आगे प्रतिवेदन है कि मौजा–डुमरिया के अन्तर्गत जमाबंदी सं0–37, जो जमाबंदी रैयत मीलु मिर्धा वल्द तालेश्वर मिर्धा वो मो0 रजनी जौजे देवल मिर्धा वो कार्तिक मिर्धा वल्द काली मिर्धा कौम डोम सा0 देह के नाम से दर्ज है। आगे प्रतिवेदन है कि अपीलकर्त्ता वगै0 के पिता बैजनाथ साह के द्वारा टाईटल सूट नं0–420/1964 एवं केश नं0–157/1968 परमेश्वर मिर्धा वगै बनाम् बैजनाथ साह के माध्यम से प्राप्त है। साथ ही वर्णित वाद के आधार पर अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के मुटेशन केश नं0–13/1965–66 के माध्यम से नामांतरण किया गया है, जिसकी प्रविष्टि पंजी–II में है तथा अपीलकर्त्ता लगान रसीद भी प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में वादगत जमीन पर पक्का मकान, चाहारदिवारी एवं वृक्ष आदि अवस्थित है। जिस पर बैजनाथ साह के वंशज का दखल कब्जा है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–डुमरिया नं0–01, जमाबंदी सं0–13 दाग नं0–733 रकवा 00–03–13 धुर, दाग नं0–734 रकवा 01–08–09 धुर, दाग नं0–735 रकवा 00–06–01 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मोशमात रेवती जौजे देवल मिर्धा के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत मो0 रेवती का कोई वंशज नहीं है। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन में उत्तरवादी शिव प्रसाद मिर्धा को जमाबंदी सं0–37 का वंशज बताया गया है। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि टाईटल सूट नं0–420/1964 एवं टाईटल सूट नं0–157/1968 के माध्यम से

अपीलकर्त्तागण के पिता वैधनाथ साह को उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–734 एवं 735 के अन्तर्गत रकवा 01–00–01 धुर जमीन प्राप्त है। साथ ही अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के नामांतरण वाद सं0–13/1965–66 के द्वारा नामांतरण किया गया है। अपीलकर्त्तागण की ओर से वर्तमान अपील वाद में टाईटल सूट एवं नामांतरण से संबंधित कागजात का छायाप्रति दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–97/2008–09 में दिनांक–09.01.2012 के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा। 14/03/23

उपायुक्त,
गोड्डा। 14/03/23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 12:09:41 +05:30
Location: 172.21.32.1